Aqiqe Ke Baare Mein Suwal Jawab (Hindi)

अ़क़ीक़े के बारे में सुवाल जवाब

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी र-ज़वी دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले। (المُستطرَف ج١ص٤٠ دارالفكر بيروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

अ़क़ीक़े के बारे में सुवाल जवाब

येह रिसाला (**अ़क़ीक़े के बारे में सुवाल जवाब**)

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना

सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात
MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

पहले इसे पढ़ लीजिये.....

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ सगे मदीनए ज़ियाबार, अत्तारे बद अत्वार غَفَرَلَهُ الْغَفَّار के **कुर्रतुल उ़यूनि वल अब्सार**, (या'नी आंखों की ठन्डक) अलहाज अबू उसैद उ़बैद रज़ा इब्ने अत्तार سَلَّمَهُ اللّٰهُ السَّتَّار के घर बरोज़ मंगल 21 **माहे विलादते महबूबे रब्बे लम यज़ल** रबीउ़ल अव्वल 1428 सि.हि. (10-4-2007) को म-दनी मुन्नी की विलादत हुई। 14वें दिन बरोज़ पीर शरीफ़ (5 माहे शैख़ अ़ब्दुल क़ादिर, रबीउ़ल आख़िर 1428 सि.हि.) यूं **इज्तिमाई अ़क़ीक़ा शरीफ़** की तरकीब हुई कि इस में मेरे मन के शहज़ादे निगराने शूरा की दो[2] म-दनी मुन्नियों और मज़ीद एक इस्लामी भाई के दो[2] शहज़ादों के अ़क़ीक़े भी शामिल हो गए। "بِسْمِ اللّٰه" के सात हुरूफ़ की निस्बत से अ़क़ीक़े के सात जानवर ज़ब्ह हुए और रात ग़ुलाम ज़ादे के मकान ''बैते इ़ब्रत'' की छत पर खाने की दा'वत हुई। बा'दहू ''अ़क़ीक़ा'' के उ़न्वान पर ''म-दनी मुज़ा-करा'' हुवा। तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक, **दा'वते इस्लामी** की म-दनी मजलिस **''अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या''** की त़रफ़ से नज़रे सानी व तख़्रीज की काविश और ''मजलिसे म-दनी मुज़ा-करा'' की पेशकश पर वोह म-दनी मुज़ा-करा ज़रूरी तरमीम के साथ **मक-त-बतुल मदीना** की त़रफ़ से ब सूरते रिसाला बनाम ''अ़क़ीक़े के बारे में सुवाल जवाब'' मन्ज़रे आ़म पर लाया गया है। **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ इसे क़बूल फ़रमाए और नाफ़ेए ख़लाइक़ बनाए और इस के हर मुसल्मान क़ारी की बे ह़िसाब मग़्फ़िरत करे। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰه تعالٰى عليه واٰله وسلَّم

त़ालिबे ग़मे मदीना व
बक़ीअ़ व मग़्फ़िरत व
बे ह़िसाब जन्नतुल
फ़िरदौस में आक़ा
का पड़ोस

7 रबीउ़ल आख़िर 1428 सि.हि.
25-4-2007

एक चुप सो[100] सुख

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

अ़क़ीक़े के बारे में सुवाल जवाब

शैत़ान लाख सुस्ती दिलाए सिर्फ़ (22 सफ़ह़ात) पर मुश्तमिल येह रिसाला मुकम्मल पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ मा'लूमात का अनमोल ख़ज़ाना हाथ आएगा ।

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू दरदा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि **शफ़ीउ़ल मुज़्निबीन, रह़मतुल्लिल आ़-लमीन** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का इर्शादे दिल नशीन है : जिस ने मुझ पर दस मर्तबा सुब्ह़ और दस मर्तबा शाम **दुरूदे पाक** पढ़ा उसे क़ियामत के दिन मेरी शफ़ाअ़त मिलेगी ।

(مَجْمَعُ الزَّوائِد ج۱۰ص۱۶۳حدیث۱۷۰۲۲)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

अ़क़ीक़ा के मा'ना

सुवाल 1 **अ़क़ीक़ा** के क्या मा'ना हैं ?

जवाब **अ़क़ीक़ा का लफ़्ज़ी मा'ना :** अ़क़ीक़ा बना है **عَقٌّ** से ब

मा'ना काटना, अलग करना । (मिरआत, जि. 6, स. 2)

अ़क़ीक़ा के शर-ई मा'ना : बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़ब्ह़ किया जाता है उस को **अ़क़ीक़ा** कहते हैं ।

(बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 355)

सुवाल 2 **अ़क़ीक़ा** करने में क्या क्या अच्छी निय्यतें करनी चाहिएं ?

जवाब बच्चा/बच्ची की विलादत की मसर्रत पर बत़ौरे शुक्रे ने'मत अदाए सुन्नत के लिये **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की रिज़ा की ख़ात़िर **अ़क़ीक़े** की सआ़दत ह़ासिल करता हूं । इस के इ़लावा भी ह़स्बे ह़ाल निय्यतें की जा सकती हैं । याद रहे ! बिग़ैर अच्छी निय्यत के अ़-मले ख़ैर का सवाब नहीं मिलता । ज़ाहिर येही है कि **अ़क़ीक़ा** करते वक़्त करने वाले के दिल में निय्यते **अ़क़ीक़ा** होती होगी ताहम जितनी अच्छी अच्छी निय्यतें ज़ियादा उतना सवाब भी ज़ियादा । **फ़रमाने मुस्त़फ़ा** نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ है صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **''मुसल्मान की निय्यत उस के अ़मल से बेहतर है ।''**

(اَلْمُعْجَمُ الْكَبِير لِلطَّبَرانی ج٦ ص١٨٥ حديث٥٩٤٢)

क्या अ़क़ीक़ा न करना गुनाह है ?

सुवाल 3 क्या ''**अ़क़ीक़ा**'' न करने वाला गुनहगार होता है ?

जवाब **अ़क़ीक़ा** फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है सिर्फ़ सुन्नते मुस्तह़ब्बा है, तर्क करना गुनाह नहीं । (अगर गुन्जाइश हो तो ज़रूर करना चाहिये, न करे तो गुनाह नहीं अलबत्ता अ़क़ीक़े के सवाब से मह़रूमी है) ग़रीब आदमी को हरगिज़ जाइज़ नहीं कि सूदी क़र्ज़ा ले कर अ़क़ीक़ा करे । (माख़ूज़ अज़ इस्लामी ज़िन्दगी, स. 27)

बे अ़क़ीक़ा मरने वाला बच्चा शफ़ाअ़त करेगा या नहीं ?

सुवाल 4 क्या येह दुरुस्त है कि जो बच्चा बिग़ैर **अ़क़ीक़ा** इन्तिक़ाल कर गया वोह अपने वालिदैन की **शफ़ाअ़त** नहीं करेगा ?

जवाब जी हां ! मगर इस की सूरतें हैं : जिस बच्चे ने **अ़क़ीक़े** का वक़्त पाया या'नी वोह बच्चा सात दिन का हो गया और बिला उ़ज़्र जब कि इस्तिता़अ़त (या'नी ता़क़त) भी हो उस का **अ़क़ीक़ा** न किया गया तो वोह अपने मां बाप की **शफ़ाअ़त** न करेगा । ह़दीसे पाक में है कि اَلْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهٖ या'नी "लड़का अपने **अ़क़ीक़े** में गिरवी है ।" (ترمذی ج۳ ص۱۷۷حدیث۱۵۲۷) **अशिअ़-अ़तुल्लम्आ़त** में है, इमाम अह़मद رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه फ़रमाते हैं : "बच्चे का जब तक **अ़क़ीक़ा** न किया जाए उस को वालिदैन के ह़क़ में शफ़ाअ़त करने से रोक दिया जाता है ।" (اشعۃ اللّمعات ج۳ ص۵۱۲) **सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह**, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِى मज़्कूरा ह़दीसे पाक के तह़्त फ़रमाते हैं : "गिरवी" होने का मत़लब येह है कि उस से पूरा नफ़्अ़ ह़ासिल न होगा जब तक **अ़क़ीक़ा** न किया जाए और बा'ज़ (मुह़द्दिसीन) ने कहा बच्चे की सलामती और उस की नश्वो नुमा (फलना फूलना) और उस में अच्छे औसाफ़ (या'नी उ़म्दा ख़ूबियां) होना अ़क़ीक़े के साथ वाबस्ता हैं । (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 354)

सुवाल 5 जिस का "अ़क़ीक़ा" न हुवा क्या वोह जवानी में अपना **अ़क़ीक़ा** कर सकता है ?

जवाब जी हां ! जिस का **अ़क़ीक़ा** न हुवा हो वोह जवानी, बुढ़ापे में भी अपना **अ़क़ीक़ा** कर सकता है (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 588) जैसा कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ए'लाने **नुबुव्वत** के बा'द ख़ुद अपना **अ़क़ीक़ा** किया ।

(مصنّف عبد الرّزاق ج ٤ ص٢٥٤ حديث ٢١٧٤)

कच्चा ह़म्ल गिर जाने की फ़ज़ीलत

सुवाल 6 क्या ह़म्ल गिर जाने की सूरत में **अ़क़ीक़ा** करना होगा ?

जवाब नहीं । **कच्चा ह़म्ल** गिर जाने के सबब उ़मूमन मां बाप बहुत परेशान हो जाते हैं । उन की तसल्ली के लिये अ़र्ज़ है कि ऐसे मौक़अ़ पर **सब्र** कर के अज्र कमाना चाहिये । **कच्चा ह़म्ल** गिर जाने में मां बाप का बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा फ़ाएदा है । चुनान्चे, **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के ह़बीब, ह़बीबे लबीब صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : बेशक कच्चा बच्चा (या'नी मां के पेट से ना मुकम्मल गिर जाने वाला) अपने रब عَزَّوَجَلَّ से (उस वक़्त) झगड़ेगा जब कि उस के वालिदैन (जिन का ईमान पर ख़ातिमा हुवा होगा मगर शामते आ'माल के सबब उन) को **अल्लाह तआ़ला** दोज़ख़ में दाख़िल फ़रमाएगा, ह़ुक्म होगा : ऐ अपने रब عَزَّوَجَلَّ से झगड़ने वाले बच्चे ! अपने मां बाप को जन्नत में ले जा, लिहाज़ा वोह अपनी नाल[1] से दोनों[2] को खींचेगा यहां तक कि उन्हें जन्नत में ले जाएगा । (اِبنِ ماجه ج٢ ص٢٧٣ حديث ١٦٠٨) **मीठे मीठे इस्लामी भाइयो !** इस रिवायत से **ईमान** की सलामती की **अहम्मिय्यत** भी

1 : या'नी वोह आंत जो रेह्मे मादर में बच्चे के पेट से जुड़ी होती है और जिसे पैदाइश पर काट कर जुदा कर देते हैं ।

उजागर हुई कि शफ़ाअ़त की ने'मत पाने के लिये **ईमान** का सलामत होना लाज़िमी है लिहाज़ा हर एक को अपने **ईमान** की सलामती की फ़िक्र करनी चाहिये। यक़ीनन **ईमान** की सलामती **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की रिज़ा में पोशीदा है और **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की रिज़ा उस की और उस के **ह़बीब** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की फ़रमां बरदारी में है और ईमान की बरबादी **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की नाराज़ी में पोशीदा है और **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की नाराज़ी उस की और उस के **ह़बीब** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ना फ़रमानी में है । **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ हमें ईमान की सलामती अ़ता फ़रमाए। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

मरे हुए बच्चे का अ़क़ीक़ा ?

सुवाल 7 अगर बच्चा पैदा होने के बा'द सात दिन से पहले पहले फ़ौत हो जाए तो उस के **अ़क़ीक़े** का क्या करें ? अगर मरने के बा'द कर दें तो वालिदैन की शफ़ाअ़त करेगा या नहीं ?

जवाब अब **अ़क़ीक़े** की ह़ाजत नहीं ऐसा बच्चा **शफ़ाअ़त** कर सकेगा । मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : जो मर जाए किसी उ़म्र का हो उस का **अ़क़ीक़ा** नहीं हो सकता, बच्चा अगर सातवें[7] दिन से पहले ही मर गया तो उस के **अ़क़ीक़ा** न करने से कोई असर उस की शफ़ाअ़त वग़ैरा पर नहीं कि वोह वक़्ते अ़क़ीक़ा आने से पहले ही गुज़र गया, **अ़क़ीक़े** का वक़्त शरीअ़त में सातवां दिन है । जो बच्चा क़ब्ले बुलूग़ (या'नी बालिग़ होने से पहले) मर गया और उस का **अ़क़ीक़ा** कर दिया था, या **अ़क़ीक़े** की इस्तिता़अ़त

(ता़क़त) न थी या सातवें दिन से पहले मर गया, इन सब सूरतों में वोह मां बाप की **शफ़ाअ़त** करेगा जब कि येह (या'नी मां बाप) दुन्या से **बा ईमान** गए हों ।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 596, 597)

सुवाल 8 अगर किसी ने सातवें दिन से क़ब्ल ही बच्चे का **अ़क़ीक़ा** कर दिया तो ?

जवाब अगर्चे **अ़क़ीक़े** का वक़्त सातवें रोज़ से शुरूअ़ होता है और सुन्नत व अफ़्ज़ल येही है ताहम इस से क़ब्ल ह़त्ता कि एक दिन के बच्चे का भी **अ़क़ीक़ा** कर दिया तो हो गया ।

बच्चे के कान में कितनी बार अज़ान दें ?

सुवाल 9 बराए करम ! येह भी बता दीजिये कि बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उस के कान में **अज़ान** कब और कितनी बार दें ? बच्चे का **नाम** कौन से दिन रखें और सर के बाल किस दिन साफ़ करवाएं ?

जवाब जब बच्चा पैदा हो तो मुस्तह़ब येह है कि उस के कान में अज़ान व इक़ामत कही जाए **अज़ान** कहने से اِنْ شَآءَاللّٰه تَعَالٰى **बलाएं दूर हो जाएंगी ।** इमामे आ़ली मक़ाम ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे हुसैन इब्ने अ़ली رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا से रिवायत है कि **सरकारे** वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफ़ीए़ रोज़े शुमार صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़लीशान है : जिस शख़्स के हां बच्चा पैदा हो उस के दाएं कान में **अज़ान** और बाएं कान में **इक़ामत** कही जाए तो बच्चा **उम्मुस्सिब्यान** से महफ़ूज़ रहेगा । (مُسْنَدُ اَبِیْ یَعْلٰی ج٦ ص٣٢ حدیث٦٧٤٧)

उम्मुस्सिब्यान के **मु-तअ़ल्लिक़** आ़शिक़ों के इमाम, इमामे

अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, परवानए शम्ए रिसालत, आशिक़े **माहे नुबुव्वत** मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : (सर-अ़) बहुत ख़बीस बला है और इसी को उम्मुस्सिब्यान कहते हैं अगर बच्चों को हो, वरना सर-अ़ (मिर्गी) । (मल्फ़ूज़ाते आ'ला ह़ज़रत, स. 417) ''नुज़्हतुल क़ारी'' में है : सर-अ़ के मा'ना बेहोश हो कर गिर पड़ने के हैं येह कभी अख़्लात़[1] के फ़साद के सबब होता है जिसे **मिर्गी** कहते हैं और कभी जिन्न या ख़बीस हमज़ाद के असर से होता है। (नुज़्हतुल क़ारी, जि. 5, स. 489) मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : जब बच्चा पैदा हो फ़ौरन सीधे कान में अज़ान बाएं (उलटे) में तक्बीर कहे कि ख़-लले शैत़ान व **उम्मुस्सिब्यान** से बचे । (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 24, स. 452) बेहतर येह है कि दहने (या'नी सीधे) कान में चार[4] मर्तबा **अज़ान** और बाएं (या'नी उलटे) कान में तीन मर्तबा **इक़ामत** कही जाए । (अगर एक मर्तबा अज़ान व इक़ामत कह दी तब भी कोई ह़रज नहीं) **सातवें** दिन उस का **नाम** रखा जाए और उस का सर मूंडा जाए और सर मुंडाने के वक़्त **अ़क़ीक़ा** किया जाए और बालों को वज़्न कर के उतनी चांदी या सोना **स-दक़ा** किया जाए । (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 355)

जल्दी नाम रखना कैसा ?

सुवाल 10 आप ने अभी बताया कि सातवें दिन नाम रखा जाए तो अगर किसी ने पहले या दूसरे दिन ही नाम रख लिया तो ?

1 : अख़्लात़, ख़ल्त़ की जम्अ़ । जिस्म की चार ख़िल्तें (1) सफ़रा (या'नी पित) (2) ख़ून (3) बल्ग़म और (4) सौदा (जला हुवा सियाह बल्ग़म)

जवाब कोई ह़रज नहीं।

बच्चे के सर पर ज़ा'फ़रान मलिये

सुवाल 11 **अ़क़ीक़े** में बच्चे का सर मूंडने के बा'द सुना है सर पर **ज़ा'फ़रान** मलना चाहिये ?

जवाब आप ने दुरुस्त सुना है। ह़ज़रते सय्यिदुना बुरैदा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है, ज़मानए जाहिलिय्यत में जब हम में किसी के यहां बच्चा पैदा होता तो वोह बकरी ज़ब्ह़ करता और उस का **ख़ून** बच्चे के सर पर **लिथेड़** देता फिर जब **इस्लाम** का ज़माना आया तो हम बकरी ज़ब्ह़ करते थे और बच्चे का सर मुंडाते और सर पर **ज़ा'फ़रान** लगाते।

(ابوداؤد ج۳ ص۱٤٤ حدیث۲۸٤۳)

सर पर ज़ा'फ़रान लगाने का त़रीक़ा

थोड़ा सा ज़ा'फ़रान ह़स्बे ज़रूरत पानी में भिगो कर रख दीजिये। जब नर्म हो जाए तो उसी पानी में अच्छी त़रह़ मसल दीजिये और बच्चे के मूंडे हुए सर पर लगा लीजिये।

हर उ़म्र में सातवां दिन निकालने का त़रीक़ा

सुवाल 12 अगर सातवें दिन **अ़क़ीक़ा** न कर सकें तो क्या हुक्म है ?

जवाब कोई गुनाह नहीं। मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : **अ़क़ीक़ा** विलादत के सातवें रोज़ **सुन्नत** है और

येही अफ़्ज़ल है, वरना **चौदहवें**[14], वरना **इक्कीसवें**[21] दिन । (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 586) **सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह**, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : **अ़क़ीक़े** के लिये **सातवां** दिन बेहतर है और अगर **सातवें**[7] दिन न कर सकें तो जब चाहें कर सकते हैं, **सुन्नत** अदा हो जाएगी । बा'ज़ ने येह कहा कि **सातवें**[7] या **चौदहवें**[14] या **इक्कीसवें**[21] दिन या'नी सात दिन का लिह़ाज़ रखा जाए येह बेहतर है और याद न रहे तो येह करे कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन को याद रखें, उस से एक दिन पहले वाला दिन जब आए तो वोह **सातवां** होगा, म-सलन **जुमुआ़** को पैदा हुवा तो जुमा'रात **सातवां** दिन है और सनीचर (या'नी हफ़्ते) को पैदा हुवा तो **सातवां दिन जुमुआ़** होगा पहली सूरत में जिस जुमा'रात को और दूसरी सूरत में जिस जुमुआ़ को **अ़क़ीक़ा** करेगा उस में **सातवें** दिन का ह़िसाब ज़रूर आएगा । (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 356)

शादी के जानवर में अ़क़ीक़े की निय्यत करना कैसा ?

सुवाल 13 शादी के जानवर में बा'ज़ लोग दूल्हा और दीगर अफ़राद के **अ़क़ीक़े** की निय्यत कर लेते हैं । क्या इस त़रह़ **अ़क़ीक़ा** हो जाता है ?

जवाब अगर जानवर क़ुरबानी की शराइत़ के मुत़ाबिक़ हो और कोई मानेअ़ शर-ई न हो तो **अ़क़ीक़ा** हो जाएगा ।

गाय में कितने अ़क़ीक़े हो सकते हैं ?

सुवाल 14 गाय में कितने **अ़क़ीक़े** हो सकते हैं ?

जवाब इस मुआ़-मले में इस के मसाइल क़ुरबानी की त़रह़ हैं लिहाज़ा गाय में सात हि़स्से हैं और यूं **सात अ़क़ीक़े** भी हो सकते हैं।

क़ुरबानी के जानवर में अ़क़ीक़े का हि़स्सा

सुवाल 15 क्या क़ुरबानी की गाय में भी **अ़क़ीक़े** का हि़स्सा डाल सकते हैं ?

जवाब जी हां।

बच्चों के नामों के बारे में म-दनी फूल

सुवाल 16 बच्चे का नाम रखने के बारे में कोई **म-दनी फूल** इनायत फ़रमा दीजिये।

जवाब **सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह**, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। हिन्दूस्तान में बहुत लोगों के ऐसे नाम हैं जिन के कुछ मा'ना नहीं या उन के बुरे मा'ना हैं ऐसे नामों से एह़तिराज़ (या'नी परहेज़) करें। अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के अस्माए त़य्यिबा और सह़ाबा व ताबिईन व बुज़ुर्गाने दीन (رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن) के नाम पर नाम रखना बेहतर है। उम्मीद है कि उन की ब-र-कत बच्चे के शामिले ह़ाल हो। (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 356) **उम्मुल मुअमिनीन** ह़ज़रते सय्यि-दतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا से रिवायत है : नबिय्ये रह़मत, शफ़ीए़ उम्मत, शहन्शाहे नुबुव्वत, ताजदारे रिसालत صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : अच्छों के नाम पर नाम

रखो और **अपनी ह़ाजतें अच्छे चेहरे वालों से त़लब करो ।**

(اَلْفِرْدَوْس بمأثور الْخَطّاب ج۲ص۵۸ حديث ۲۳۲۹)

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : **अ़ब्दुल्लाह व अ़ब्दुर्रह़मान** बहुत अच्छे नाम हैं मगर इस ज़माने में येह अक्सर देखा जाता है कि **अ़ब्दुर्रह़मान** के बजाए उस शख़्स को लोग **रह़मान** कहते हैं और ग़ैरे ख़ुदा को **रह़मान** कहना **ह़राम** है। इसी त़रह़ कसरत से नामों में तसग़ीर का रवाज है, या'नी नाम को इस त़रह़ बिगाड़ते हैं जिस से ह़क़ारत निकलती है और ऐसे नामों में तसग़ीर हरगिज़ न की जाए लिहाज़ा जहां येह गुमान हो कि नामों में तसग़ीर की जाएगी येह नाम न रखे जाएं दूसरे नाम रखे जाएं । (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 356)

मुह़म्मद नाम रखने के चार फ़ज़ाइल

सुवाल 17 "**मुह़म्मद**" नाम रखने के फ़ज़ाइल इर्शाद हों ।

जवाब इस ज़िम्न में चार[4] फ़रामीने सादिक़ो अमीन صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم अ़र्ज़ करता हूं : ﴿1﴾ जिस के लड़का पैदा हो और वोह मेरी **मह़ब्बत** और मेरे नाम से ब-र-कत ह़ासिल करने के लिये उस का नाम **मुह़म्मद** रखे वोह (या'नी नाम रखने वाला वालिद) और उस का लड़का दोनों[2] बिहिश्त (या'नी जन्नत) में जाएं । ﴿2﴾ रोज़े क़ियामत दो[2] शख़्स रब्बुल इ़ज़्ज़त के हुज़ूर खड़े किये जाएंगे । हुक्म होगा : इन्हें जन्नत में ले जाओ । अ़र्ज़ करेंगे : इलाही (عَزَّوَجَلَّ) ! हम किस अ़मल पर जन्नत के क़ाबिल हुए ? हम ने तो जन्नत का कोई काम किया नहीं ! फ़रमाएगा : जन्नत में जाओ, **(كَنْزُ الْعُمّال ج١٦ ص١٧٥ حديث ٤٥٢١٥)**

मैं ने ह़ल्फ़ किया (या'नी क़सम फ़रमाई) है कि जिस का नाम **अह़मद** या **मुह़म्मद** हो दोज़ख़ में न जाएगा। (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 24, स. 687 (اَلْفِرْدَوْس بِمأثور الْخَطّاب ج٥ص٤٨٥ حديث٨٨٣٧، **《3》** तुम में किसी का क्या नुक़्सान है अगर उस के घर में एक **मुह़म्मद** या दो **मुह़म्मद** या तीन **मुह़म्मद** हों। (اَلطَّبَقَاتُ الْكُبرىٰ لابن سعد ج٥ ص ٤٠) **《4》** जब लड़के का नाम **मुह़म्मद** रखो तो उस की इ़ज़्ज़त करो और मजलिस में उस के लिये जगह कुशादा करो और उसे बुराई की त़रफ़ निस्बत न करो। (اَلْجامِعُ الصَّغِير لِلسُّيُوطی ص٤٩ حديث ٧٠٦)

मुह़म्मद नाम रखने की दो निय्यतें

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अगर बिग़ैर अच्छी निय्यत के फ़क़त़ यूं ही **मुह़म्मद** नाम रख लिया तो सवाब नहीं मिलेगा क्यूं कि सवाब कमाने के लिये "अच्छी निय्यत" होना शर्त़ है और ह़दीसे पाक नम्बर **1** में **दो अच्छी निय्यतों** की सराह़त (या'नी वज़ाह़त) भी है कि ताजदारे रिसालत صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से **मह़ब्बत** और आप صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के नामे नामी इस्मे गिरामी से ब-र-कत ह़ासिल करने की निय्यत से **मुह़म्मद** नाम रखने वाले ख़ुश क़िस्मत बाप और **मुह़म्मद** नामी बेटे के लिये जन्नत की बिशारत है। आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه "फ़तावा र-ज़विय्या" जिल्द 24 **सफ़ह़ा** 691 पर फ़रमाते हैं : "बेहतर येह है कि सिर्फ़ **मुह़म्मद** या **अह़मद** नाम रखे इन के साथ "जान" वग़ैरा और कोई लफ़्ज़ न मिलाए कि फ़ज़ाइल तन्हा इन्हीं अस्माए मुबा-रका के

वारिद हुए हैं ।'' आज कल مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ नाम बिगाड़ने की वबा आ़म है ह़ालां कि ऐसा करना गुनाह है और **मुह़म्मद** नाम का बिगाड़ना तो बहुत ही सख़्त तक्लीफ़ देह है । लिहाज़ा **अ़क़ीक़ा** में नाम **मुह़म्मद** या **अह़मद** रख लीजिये और पुकारने के लिये म-सलन **बिलाल रज़ा, हिलाल रज़ा, जमाल रज़ा, कमाल रज़ा** और **ज़ैद रज़ा** वग़ैरा रख लिया जाए । इसी त़रह़ बच्चियों के नाम भी सह़ाबिय्यात व वलिय्यात के नामों पर रखना मुनासिब है जैसा कि **सकीना, ज़रीना, जमीला, फ़ात़िमा, ज़ैनब, मैमूना, मरयम** वग़ैरा ।

अ़क़ीक़े में कितने जानवर होने चाहिएं ?

सुवाल 18 बच्चा या बच्ची के **अ़क़ीक़े** में जानवरों की ता'दाद के बारे में भी इर्शाद फ़रमा दीजिये ।

जवाब लड़के के लिये दो और लड़की के लिये एक हो । मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : (दोनों के लिये) कम से कम एक (एक जानवर) तो है ही और पिसर (या'नी बेटे) के लिये दो (जानवर) अफ़्ज़ल हैं (बेटे के लिये दो की) इस्तित़ाअ़त (या'नी त़ाक़त) न हो तो एक भी काफ़ी है । (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 586)

अ़क़ीक़े का जानवर कैसा हो ?

सुवाल 19 **अ़क़ीक़े** का जानवर कैसा होना चाहिये ?

जवाब एक क़स्साब से अ़क़ीक़े के लिये जानवर ख़रीदने के मु-तअ़ल्लिक़ किये गए एक सुवाल के जवाब में मेरे

आक़ा **आ'ला ह़ज़रत** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه फ़रमाते हैं : इन उमूर में अह़कामे **अ़क़ीक़ा** मिस्ले क़ुरबानी हैं, आ'ज़ा सलामत हों, बकरा बकरी एक साल से कम की जाइज़ नहीं, भेड़, मेंढा छ[6] महीने का भी हो सकता है जब कि इतना ताज़ा व फ़रबा हो कि साल भर वालों में मिला दें तो दूर से **मु-तमय्यज़** न हो (या'नी देखने में साल भर का नज़र आए) (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 584) अ़क़ीक़े के जानवर के मु-तअ़ल्लिक़ ह़ज़रते अ़ल्लामा **शामी** قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِي फ़रमाते हैं, ''बदाएअ़'' में है : अफ़्ज़ल क़ुरबानी येह है कि मेंढा, **चितकुब्रा**, सींगों वाला और ख़स्सी हो । (رَدُّالْمُحتار ج۹ ص۵۴۹)

जानवर की उ़म्र में शक हो तो ?

सुवाल 20 **अ़क़ीक़ा** या क़ुरबानी के जानवर की उ़म्र में **शक** हो तो क्या करना चाहिये ?

जवाब उ़म्र कम होने का शुबा हो तो उस जानवर की क़ुरबानी या **अ़क़ीक़ा** न करे । इस ज़िम्न में फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 20 **सफ़ह़ा** 583 और 584 से दो[2] जुज़्इय्यात मुला-ह़ज़ा हों : ﴾1﴿ साल भर से कम की बकरी **अ़क़ीक़े** या क़ुरबानी में नहीं हो सकती, अगर मश्कूक ह़ालत है तो वोह भी ऐसी ही है कि साल भर की न होना मा'लूम हो, لِاَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ كَعِلْمِ الْعَدَمِ (शर्त़ के पाए जाने का इ़ल्म न होना ऐसे ही है जैसे उस चीज़ के न होने का इ़ल्म हो) ﴾2﴿ जब कि साल भर कामिल होने में शक है तो उस का **अ़क़ीक़ा** न करें और (जानवर बेचने वाले) क़स्साब का क़ौल यहां काफ़ी नहीं कि (जानवर) बिकने में

इस (या'नी बेचने वाले) का नफ़्अ़ है और (साल भर का बच्चा जो दांत तोड़ता है वोह इस ने अभी न तोड़े येह) ह़ालते ज़ाहिरा इस (बेचने वाले) की बात (या'नी जानवर कामिल होने के दा'वे) को दफ़्अ़ कर रही है। وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَم (ख़ुलासए कलाम येह है कि अगर जानवर की उ़म्र पर येह शक हो कि येह बकरा साल भर का नहीं मा'लूम होता या गाय शायद दो[2] साल से कम उ़म्र की है तो ऐसी मश्कूक ह़ालत में उस जानवर की क़ुरबानी या अ़क़ीक़ा नहीं हो सकता)

अ़क़ीक़े के गोश्त की तक़्सीम का मस्अला

सुवाल 21 **अ़क़ीक़े** के गोश्त की तक़्सीम किस त़रह़ करें ?

जवाब मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : (अ़क़ीक़े का) गोश्त भी मिस्ले क़ुरबानी तीन ह़िस्से करना मुस्तह़ब है, एक अपना, एक अक़ारिब, एक मसाकीन का और चाहे तो सब खा ले ख़्वाह सब बांट दे, जैसे क़ुरबानी।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 584)

पका कर खिलाएं या कच्चा बांटें ?

सुवाल 22 **अ़क़ीक़े** का गोश्त पका कर खिलाना अफ़्ज़ल है या कच्चा गोश्त तक़्सीम कर दें ?

जवाब पका कर खिलाना कच्चा तक़्सीम करने से अफ़्ज़ल है।

(ऐज़न)

अ़क़ीक़े का गोश्त मां बाप खा सकते हैं या नहीं ?

सुवाल 23 क्या **अ़क़ीक़ा** के गोश्त में वालिदैन का भी ह़िस्सा है ?

जवाब यूं तो किसी का भी हिस्सा ज़रूरी नहीं, अलबत्ता मुस्तहब तक़्सीम का बयान हो चुका। येह जो मश्हूर है कि वालिदैन नहीं खा सकते येह ग़लत बात है। मां बाप, दादा दादी, नाना नानी वग़ैरा सभी मुसल्मान खा सकते हैं।

काफ़िरा दाई से ज़चगी करवाना ह़राम है

सुवाल 24 कहते हैं कि **अ़क़ीक़े** के गोश्त में से नाई को सर और दाई (Midwife) को रान देना चाहिये और अगर दाई काफ़िरा हो तो क्या करे ?

जवाब मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 20 **सफ़ह़ा** 588 पर फ़रमाते हैं : सर नाई को देने का न कहीं हुक्म न मुमा-न-अ़त, एक रवाजी (या'नी रस्मो रवाज की) बात है, (देने में ह़रज नहीं) जनाई (Midwife) को रान देने का हुक्म अलबत्ता ह़दीस से (साबित) है, मगर काफ़िरा से येह (या'नी ज़चगी का) काम लेना ह़राम। काफ़िरा से मुसल्मान औ़रत को ऐसे ही पर्दे का हुक्म है जैसे मर्द से कि सिवा मुंह की टिक्ली और हथेलियों और तल्वों के कुछ न दिखाए, न कि ख़ास जनाई (या'नी ज़चगी) का काम। "**रद्दुल मुह़तार**" में है : "मुसल्मान औ़रत को यहूदी या नसरानी या मुश्रिक औ़रत के सामने नंगा होना ह़लाल नहीं सिवाए इस के कि वोह इस की लौंडी हो।" (رَدُّالْمُحتار ج۹ ص۶۱۳) आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه मज़ीद फ़रमाते हैं : फिर अगर किसी

ने अपनी ह़माक़त से इस (या'नी काफ़िरा से डिलीवरी करवाने के) गुनाह का इरतिकाब किया, اَوْ كَانَ صَحِيْحُ الْاِضْطِرَارِ اِلَيْهِ (या'नी या इस की सह़ीह़ शदीद मजबूरी हो) तो उस (काफ़िरा) को रान वग़ैरा कुछ न दें कि काफ़िरों को स-दक़ात वग़ैरा में कुछ ह़क़ नहीं न उस को देने की (शरअ़न) इजाज़त । (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 588, 589)

सफ़ह़ा 588 पर इस से पिछले फ़त्वे में इर्शाद फ़रमाते हैं : भंगन या किसी काफ़िरा को जनाई (Midwife) बनाना सख़्त ह़राम है । न काफ़िरा को रान दी जाए और बालों की चांदी मिस्कीन का ह़क़ है, नाई मिस्कीन हो तो देने में मुज़ा-यक़ा नहीं, अस्ल हुक्म येह है फिर जिस ने इस के ख़िलाफ़ किया भंगन को रान, ग़नी नाई को चांदी दी तो बुरा किया मगर **अ़क़ीक़ा** हो गया । सिरी के बारे में कोई ख़ास हुक्म नहीं जिसे चाहे दे, जिस का **अ़क़ीक़ा** न हुवा हो वोह जवानी, बुढ़ापे में भी अपना **अ़क़ीक़ा** कर सकता है । وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَم

अ़क़ीक़े की खाल का इस्ति'माल

सुवाल 25 **अ़क़ीक़े** के जानवर की खाल का क्या हुक्म है ?

जवाब इस के गोश्त और खाल का भी वोही हुक्म है जो क़ुरबानी के जानवर के गोश्त पोस्त (खाल) का कि खाल को बाक़ी रखते हुए या ऐसी चीज़ से बदल कर जिसे बाक़ी रख कर नफ़्अ़ उठाया जा सकता हो अपने सर्फ़ में लाए या मिस्कीन को दे या किसी और नेक

काम म-सलन मस्जिद या मद्रसे में सर्फ़ करे ।

(बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 357)

खाल उजरत में देना कैसा ?

सुवाल 26 क्या क़स्साब को **अ़क़ीक़े** के जानवर की खाल बतौ़रे उजरत दे सकते हैं ?

जवाब नहीं दे सकते । (ऐज़न, स. 346) इसी त़रह़ नाई को सर या जनाई (Midwife) को रान बतौ़रे उजरत देने की शरीअ़त में इजाज़त नहीं ।

कौन ज़ब्ह़ करे ?

सुवाल 27 **अ़क़ीक़े** का जानवर कौन ज़ब्ह़ करे ?

जवाब मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : बाप अगर ह़ाज़िर हो और ज़ब्ह़ पर क़ादिर हो तो उसी का ज़ब्ह़ करना बेहतर है कि येह शुक्रे ने'मत है, जिस पर ने'मत हुई वोही अपने हाथ से शुक्र अदा करे । वोह न हो या ज़ब्ह़ न कर सके तो दूसरे को इजाज़त दे दे ।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 585 मुलख़्ख़सन)

अ़क़ीक़े की दुआ़

सुवाल 28 **अ़क़ीक़े** की दुआ़ कौन पढ़े ? ज़ाबेह़ या वालिद ?

जवाब ज़ाबेह़ या'नी जो ज़ब्ह़ करे वोही दुआ़ पढ़े । **अ़क़ीक़ए पिसर** (लड़के के अ़क़ीक़े) में कि बाप ज़ब्ह़ करे (तो ज़ब्ह़ से क़ब्ल) दुआ़ यूं पढ़े :

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِىْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ ط اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّابْنِىْ مِنَ النَّارِ ط بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

(दुआ ख़त्म कर के फ़ौरन ज़ब्ह़ कर दे)

ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! येह मेरे फ़ुलां बेटे का अ़क़ीक़ा है, इस का ख़ून उस के ख़ून, इस का गोश्त उस के गोश्त, इस की हड्डी उस की हड्डी, इस का चमड़ा उस के चमड़े और इस के बाल उस के बाल के बदले में हैं। ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! इस को मेरे बेटे के लिये जहन्नम की आग से फ़िद्या बना दे। **अल्लाह तआ़ला** के नाम से, **अल्लाह** सब से बड़ा है।

फ़ुलां की जगह पिसर (या'नी बेटे) का जो नाम हो, ले, दुख़्तर (या'नी बेटी) हो तो दोनों जगह اِبْنِىْ की जगह بِنْتِىْ और पांचों जगह ہٖ की जगह ھا कहे और दूसरा शख़्स ज़ब्ह़ करे तो दोनों जगह اِبْنِىْ فُلَان या بِنْتِىْ فُلَان की जगह فُلَانَہ بِنْتِ فُلَان या فُلَان اِبْنِ فُلَان कहे। बच्चे को इस के बाप की त़रफ़ निस्बत करे। (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 585)

म-सलन मुह़म्मद रज़ा बिन मुह़म्मद अ़ली।

क्या दुआ पढ़ना ज़रूरी है ?

सुवाल 29 क्या दुआ पढ़े बिग़ैर **अ़क़ीक़ा** नहीं होगा ?

जवाब बिग़ैर दुआ पढ़े ज़ब्ह़ करने से भी **अ़क़ीक़ा** हो जाएगा।

(बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 357)

अ़क़ीक़े के गोश्त की हड्डियां तोड़ना कैसा ?

सुवाल 30 क्या येह दुरुस्त है कि **अ़क़ीक़े** के जानवर की हड्डियां न तोड़ी जाएं ?

जवाब बेहतर येह है कि इस की हड्डी न तोड़ी जाए बल्कि हड्डियों पर से गोश्त उतार लिया जाए येह बच्चे की सलामती की नेक फ़ाल है और हड्डी तोड़ कर गोश्त बनाया जाए इस में भी ह़रज नहीं । (ऐज़न)

मीठा गोश्त

सुवाल 31 क्या **अ़क़ीक़े** का गोश्त पकाने का भी कोई मख़्सूस त़रीक़ा है ?

जवाब **सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह**, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : गोश्त को जिस त़रह़ चाहें पका सकते हैं **मीठा** पकाया जाए तो बच्चे के अख़्लाक़ अच्छे होने की फ़ाल है । (ऐज़न) **मीठा गोश्त बनाने के दो[2] त़रीक़े :** ﴾1﴿ एक किलो गोश्त, आधा किलो मीठा दही, सात दाने छोटी इलायची, 50 ग्राम बादाम, ह़स्बे ज़रूरत घी या तेल सब मिला कर पका लीजिये, पकने के बा'द ज़रूरत के मुत़ाबिक़ चाश्नी डालिये । ज़ीनत (या'नी ख़ूब सूरती) के लिये गाजर के बारीक रेशे बना कर नीज़ किशमिश वग़ैरा भी डाले जा सकते हैं ﴾2﴿ एक किलो में आधा किलो चुक़न्दर डाल कर ह़स्बे मा'मूल पका लीजिये ।

सुवाल 32 **अ़क़ीक़े** के मौक़अ़ पर जो तह़ाइफ़ दिये जाते हैं येह कैसा है ?

जवाब आज कल उ़मूमन **अ़क़ीक़े** के लिये त़आ़म (या'नी खाने) का एहतिमाम कर के अ़ज़ीज़ो अक़ारिब को दा'वत दी

जाती है जो कि अच्छा काम है और दा'वत पर आने वाले मेहमान, बच्चे के लिये तोह़फ़े लाते हैं येह भी ख़ूब है । अलबत्ता यहां कुछ तफ़्सील है : अगर मेहमान कुछ तोह़फ़ा न लाए तो बा'ज़ अवक़ात मेज़बान या उस के घर वाले मेहमान की बुराई करने के गुनाहों में पड़ते हैं, तो जहां यक़ीनी तौ़र पर या ज़न्ने ग़ालिब से ऐसी सूरते ह़ाल हो वहां मेहमान को चाहिये कि बिग़ैर मजबूरी के न जाए, ज़रूरतन जाए और तोह़फ़ा ले जाए तो ह़रज नहीं, अलबत्ता मेज़बान ने इस निय्यत से लिया कि अगर मेहमान तोह़फ़ा न लाता तो येह या'नी मेज़बान इस (मेहमान) की बुराइयां करता, या बतौ़रे ख़ास निय्यत तो नहीं मगर इस (मेज़बान) का ऐसा बुरा मा'मूल है तो जहां इसे (या'नी मेज़बान को) ग़ालिब गुमान हो कि लाने वाला इसी तौ़र पर या'नी (मेज़बान के) शर से बचने के लिये लाया है तो अब लेने वाला मेज़बान गुनहगार और अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार है और येह तोह़फ़ा इस के ह़क़ में **रिश्वत** है । हां अगर बुराई बयान करने की निय्यत न हो और न इस का ऐसा बुरा मा'मूल हो तो तोह़फ़ा क़बूल करने में ह़रज नहीं ।

नोट : येह रिसाला पहली बार माहे शैख़ अ़ब्दुल क़ादिर 7 रबीउ़ल आख़िर 1428 सि.हि. ब मुताबिक़ 25-4-2007 को तरतीब पाया और कई बार शाएअ़ किया गया फिर 5 **ज़ुल क़ा'दतिल ह़राम** 1433 सि.हि. ब मुताबिक़ 23-9-2012 में इस पर

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तह़क़ीक़ वोह बद बख़्त हो गया। (ابن سنی)

नज़रे सानी की।

एक चुप सो100 सुख

ता़लिबे ग़मे मदीना व बक़ीअ़ व मग़्फ़िरत व बे ह़िसाब जन्नतुल फ़िरदौस में आक़ा का पड़ोस

5 ज़ुल क़ा'दतिल ह़राम 1433 सि.हि.

23-9-2012

مآخذ و مراجع

کتاب	مطبوعہ	کتاب	مطبوعہ
ابوداود	داراحیاء التراث العربی بیروت	مجمع الزوائد	دارالفکر بیروت
ترمذی	دارالفکر بیروت	الطبقات الکبریٰ	دارالکتب العلمیۃ بیروت
ابن ماجہ	دارالمعرفۃ بیروت	اشعۃ اللمعات	کوئٹہ
مصنف عبدالرزاق	دارالکتب العلمیۃ بیروت	نزہۃ القاری	فرید بک اسٹال مرکز الاولیاء لاہور
معجم کبیر	داراحیاء التراث العربی بیروت	ردالمحتار	دارالمعرفۃ بیروت
مسند ابی یعلیٰ	دارالکتب العلمیۃ بیروت	فتاوٰی رضویہ	رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور
الفردوس بمأثور الخطاب	دارالکتب العلمیۃ بیروت	بہارِ شریعت	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ
جامع صغیر	دارالکتب العلمیۃ بیروت	ملفوظات اعلیٰ حضرت	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ
کنز العمال	دارالکتب العلمیۃ بیروت	اسلامی زندگی	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ

फ़ेहरिस

उ़न्वान	सफ़ह़ा	उ़न्वान	सफ़ह़ा
अ़क़ीक़ा के मा'ना	2	मुह़म्मद नाम रखने की दो निय्यतें	13
क्या अ़क़ीक़ा न करना गुनाह है ?	3	अ़क़ीके़ में कितने जानवर होने चाहिएं ?	14
बे अ़क़ीक़ा मरने वाला बच्चा शफ़ाअ़त करेगा या नहीं ?	4	अ़क़ीके़ का जानवर कैसा हो ?	14
कच्चा ह़म्ल गिर जाने की फ़ज़ीलत	5	जानवर की उ़म्र में शक हो तो ?	15
मरे हुए बच्चे का अ़क़ीक़ा ?	6	अ़क़ीके़ के गोश्त की तक़्सीम का मस्अला	16
बच्चे के कान में कितनी बार अज़ान दें ?	7	पका कर खिलाएं या कच्चा बांटें ?	16
जल्दी नाम रखना कैसा ?	8	अ़क़ीके़ का गोश्त मां बाप खा सकते हैं या नहीं ?	16
बच्चे के सर पर ज़ा'फ़रान मलिये	9	काफ़िरा दाई से ज़चगी करवाना ह़राम है	16
सर पर ज़ा'फ़रान लगाने का त़रीक़ा	9	अ़क़ीके़ की खाल का इस्ति'माल	18
हर उ़म्र में सातवां दिन निकालने का त़रीक़ा	9	खाल उजरत में देना कैसा ?	18
शादी के जानवर में अ़क़ीके़ की निय्यत करना कैसा ?	10	कौन ज़ब्ह़ करे ?	18
गाय में कितने अ़क़ीके़ हो सकते हैं ?	10	अ़क़ीके़ की दुआ़	19
क़ुरबानी के जानवर में अ़क़ीके़ का ह़िस्सा	11	क्या दुआ़ पढ़ना ज़रूरी है ?	20
बच्चों के नामों के बारे में म-दनी फूल	11	अ़क़ीके़ के गोश्त की हड्डियां तोड़ना कैसा ?	20
मुह़म्मद नाम रखने के चार फ़ज़ाइल	12	मीठा गोश्त	20

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

सुन्नत की बहारें

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ तब्लीग़े कुरआनो सुन्नत की आलमगीर ग़ैर सियासी तहरीक **दा'वते इस्लामी** के महके महके म-दनी माहोल में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, हर जुमा'रात इशा की नमाज़ के बा'द आप के शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुज़ारने की म-दनी इल्तिजा है। आशिक़ाने रसूल के **म-दनी क़ाफ़िलों** में ब निय्यते सवाब सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये सफ़र और रोज़ाना फ़िक्रे मदीना के ज़रीए **म-दनी इन्आमात** का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह के इब्तिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ इस की ब-र-कत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफ़रत करने और **ईमान की हिफ़ाज़त** के लिये कुढ़ने का ज़ेहन बनेगा।

हर इस्लामी भाई अपना येह ज़ेहन बनाए कि **"मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ" अपनी इस्लाह की कोशिश के लिये **"म-दनी इन्आमात"** पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये **"म-दनी क़ाफ़िलों"** में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

मक-त-बतुल मदीना की शाख़ें

मुम्बई : 19, 20, मुहम्मद अ़ली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429
देहली : 421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामेअ़ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560
नागपूर : ग़रीब नवाज़ मस्जिद के सामने, सैफ़ी नगर रोड, मोमिन पुरा, नागपूर : (M) 09373110621
अजमेर शरीफ़ : 19/216 फ़स्लाहे दारैन मस्जिद, नाला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, अजमेर फ़ोन : 0145-2629385
हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786
हुब्ली : A.J. मुद्दोल कोम्पलेक्स, A.J. मुद्दोल रोड, ओल्ड हुब्ली ब्रीज के पास, हुब्ली, कर्नाटक. फ़ोन : 08363244860

मक-त-बतुल मदीना®
दा'वते इस्लामी

फ़ैज़ाने मदीना, ग्री कोनिया बग़ीचे के सामने, मिरज़ापूर, अहमदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net